निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1945 (श0)

(सं0 पटना 635) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2023

सं०–2/आरोप–01–03/2020–8113/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
27 अप्रील 2023

श्री जैनेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 582/11, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति आयुक्त के सचिव, मुंगेर के विरूद्ध विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना के पदस्थापन अवधि से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 455 दिनांक 25.01.2020 द्वारा गठित आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप है कि :–

1. सभी कार्डधारियों/लाभुकों को आधार सीडिंग के माध्यम से सम्बद्ध किये जाने से संबंधित सरकार की महत्वकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने हेतु निरन्तर रूप से निदेश दिये जाने के बावजूद भी पटना शहरी क्षेत्र में आधार सीडिंग प्रविष्टि की गति काफी धीमी रही एवं पटना शहरी क्षेत्र में Pos अधिष्ठान के क्रम में कुल जन वितरण प्रणाली दुकानों का Dealer UID Entry कार्य की प्रगति भी असंतोषजनक पाया गया।

2. End to End Computerization के द्वितीय चरण में FPS Automation योजनान्तर्गत Pos यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विशिष्ट अनुभाजन क्षेत्र में कार्यरत दुकानों में Pos यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराने में शिथिलता बरती गयी।

3. विभाग द्वारा उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 02 के संदर्भ में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया।

4. विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पटना जिलान्तर्गत शहरी क्षेत्रों का Zero Transaction PoS के अन्तर्गत विभिन्न पी0डी0एस0 दुकानों की जाँच में पाया गया कि Zero Percent Transaction का एकमात्र कारण विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना की अभिरूची नहीं लेने एवं सम्यक् अनुश्रवण/पर्यवेक्षण नहीं करने का प्रतिफल है। इसके लिए पूर्ण रूप से विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना की जबावदेह है।

5. जन प्रतिनिधियों यथा महापौर पटना एवं पूर्व उप महापौर–सह–वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 28 द्वारा संज्ञान में लाये गये आम नागरिकों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करना।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9092 दिनांक 30.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा समर्पित

जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15092 दिनांक 26.08.2022 द्वारा **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019–20) एवं (ii) दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति** का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2023 समर्पित किया गय समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में मुख्यतः श्री कुमार का कहना है कि उनके विरूद्ध प्रतिस्थापित संशोधित दंड व्यवहारिक रूप से लागू नहीं होता है। इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन काल में मिलने वाले पेंशनादि समस्त सेवानिवृत्ति लाभ पर पड़ा है, जो नियमानुकूल नहीं है। उनके द्वारा केवल अधिरोपित शास्ति के फलाफल का उल्लेख किया गया है। उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित फलाफल इत्यादि का अपने बचाव में उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त प्रतिवेदित पाँच आरोपों में से आंशिक रूप से तीन आरोपों के संबंध में बचाव अभिकथन का उल्लेख किसी भी स्तर पर नहीं किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में कोई नया तथ्य/बिन्दु अंकित नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी प्रतिवेदित आरोपों में से तीन आरोपों को अंशतः प्रमाणित पाया गया है। श्री कुमार द्वारा कार्यों के प्रति गंभीरतापूर्वक रूची नहीं लेने, विभागीय निदेशों एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की घोर अवहेलना, जन प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाये गये समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करना, कार्यों के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता एवं बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रमाणित है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध ज्ञापांक 15092 दिनांक 26.08.2022 द्वारा **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019–20)** एवं **(ii) दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति''** को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जैनेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 582/11, तत्कालीन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पूर्व के शास्ति को यथावत् रखा जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019–20),

(ii) दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)635-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in